तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **भीमसिंह बनाम लो.सू.अ.(अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर)** सू.अ.अ. अपील संख्या 189/2022	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12-07-2022	अपीलार्थी भीमसिंह, निवासी भालू जवाहरपुरा, भालू राजवा तहसील बालेसर, जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 11.06.2022 में (1) राजस्व गावं भालु जवाहरपुरा के ख.नं. 43/1, 38, 96, 94, 95, 97, 89, 41 व ग्राम खेतनगर के ख.नं. 62, 62/1 के नक्शों की प्रमाणित प्रति, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (जिला कलक्टर जोधपुर कार्यालय) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर व तहसीलदार सेखाला) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 883 दिनांक 01.07.22 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय से संबंधित नहीं होकर तहसील कार्यालय सेखाला से संबंधित होने के कारण धारा 6(3) के तहत अंतरित कर कार्यालय के पत्रांक 786 दिनांक 13.06.2022 द्वारा तहसीलदार सेखाला को प्रेषित कर सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया। तहसीलदार सेखाला से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अपीलार्थी ने अपील में बतलाया कि उसने भू–अभिलेख कार्यालय कलेक्ट्रेट जोधपुर नक्शों की प्रमाणित प्रति मांगी है। चूंकि अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सूचना का अधिकार अधिनियम आवेदन में कही भी उल्लेख नहीं किया गया कि उन्हे भू–अभिलेख शाखा से उक्त खसरान के मोमीट्रेस नक्शा की प्रमाणित प्रतिलिपि दी जावे अतः अपीलार्थी का यह कथन मानने योग्य नहीं है कि उसने कलक्टर कार्यालय की भू–अभिलेख शाखा से राजस्व गावं भालु जवाहरपुरा के ख.नं. 43/1, 38, 96, 94, 95, 97, 89, 41 व ग्राम खेतनगर के ख.नं. 62, 62/1 के मोमीट्रेट नक्शा की प्रतिलिपि चाही गई। अतः अपीलार्थी भू–बभिलेख शाखा से मोमीट्रेस नक्शा की प्रमाणित प्रति चाहता है तो पुनः आवेदन कर सकता है। तहसील क्षेत्र के हलका पटवारी राजस्व ग्राम के लट्ठा ट्रेस नक्शा रखता है अतः तहसीलदार सेखाला को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	